रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112020-223049
CG-DL-E-11112020-223049

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
No. 327] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

[व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

जांच समाप्ति

विषय : यूरोपीय संघ तथा सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आइसोनोनील (आईएनए), यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2- प्रोपाइलहेप्टाइल एल्कोहल (2- पीएच) और सऊदी अरब तथा सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 2- इथाइल हेक्सानोल (2- ईएच) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की समाप्ति ।

फा.सं. 14/22/2016-डीजीएडी.—क. प्रस्तावना

1. मैसर्स आंध्रा पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (जिसे यहां इसके बाद से ''याचिकाकर्त्ता'' अथवा ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने, समय- समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद से ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद से ''नियमावली'' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए महानिदेशक के समक्ष आइसोनोनील (आई एन ए), 2- प्रोपाइलहेप्टाइल एल्कोहल (2- पीएच) और 2- इथाइल हेक्सानोल (2- ईएच) (जिसे यहां इसके बाद से ''संबद्ध वस्तुएं'' अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' अथवा ''पी यू सी'' भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए दिनांक

18.10.2016 और 02.12.2016 को एक आवेदन दायर किया था। आइसोनोनील (आईएनए) से संबंधित देशों में यूरोपीय संघ तथा सिंगापुर हैं, जबकि 2- प्रोपाइलहेप्टाइल एल्कोहल (2- पीएच) से संबंधित देशों में यूरोपीय संघ, और 2- इथाइल हेक्सानोल (2- ईएच) से संबंधित देशों में सऊदी अरब तथा सिंगापुर हैं (जिन्हें इसके बाद से "संबद्ध देश" भी कहा गया है)।

2. माननीय उच्च न्यायालय, तेलंगाना के दिनांक 28.08.2018 के निर्देश पर प्राधिकारी ने दिनांक 09.07.2019 की अधिसूचना सं. एफ़. सं. 14/22/2016- डीजीएडी और दिनांक 09.07.2019 के शुद्धि पत्र के तहत उपरोक्त जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

3. घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 02.12.2016 को उपरोक्त जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 07.06.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ़. सं. 14/22/2016-डीजीएडी के तहत अस्वीकार कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, तेलंगाना के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

4. माननीय उच्च न्यायालय, तेलंगाना द्वारा दिनांक 09.02.2018 और 28.08.2018 के आदेशों के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों के तहत प्राधिकारी ने दिनांक 09.07.2019 की अधिसूचना और इसी तारीख को एक शुद्धि पत्र के साथ जांच शुरू की।

5. माननीय उच्च न्यायालय, तेलंगाना द्वारा जारी किए गए आदेश को प्राधिकारी द्वारा एक एस एल पी के ज़रिए माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 01.09.2020 के अपने आदेश के तहत माननीय उच्च न्यायालय, तेलंगाना के आदेशों को रद्द कर दिया।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

6. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, तेलंगाना द्वारा उपरोक्त जांच शुरु करने के लिए प्राधिकारी को दिए गए आदेश को रद्द करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के परिणामस्वरुप यह जांच आगे जारी नहीं रह सकती और एतद्द्वारा उपरोक्त जांच को समाप्त किया जाता है।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

[DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES (DGTR)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2020

TERMINATION

Subject : Termination of anti-dumping investigation concerning imports of Isononanol (INA) originating in or exported from European Union and Singapore, 2-Propylheptyl Alcohol (2-PH) originating in or exported from European Union and 2-Ethyl Hexanol (2-EH) originating in or exported from Saudi Arabia and Singapore.

F. No. 14/22/2016-DGAD.—A. Introduction:

1. Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification and Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") thereof, M/s Andhra Petrochemicals Ltd. (hereinafter also referred to as the 'Petitioner' or 'Applicant') filed an application dated 18.10.2016 and 02.12.2016 before the Director General for initiation of Anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duties on imports of Isononanol (INA), 2-Propylheptyl Alcohol (2-PH), 2-Ethyl Hexanol (2-EH), (hereinafter also

referred to as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"). The countries concerning Isononanol (INA) imports are European Union and Singapore, while the Countries concerning 2-Propylheptyl Alcohol (2-PH) imports are European Union and the countries concerning 2-Ethyl Hexanol (2-EH) imports are Saudi Arabia and Singapore (hereinafter also referred to as the "subject countries").

2. On the directions of the Hon'ble High Court of Telangana, dated 28.08.2018, the Authority issued initiated the aforesaid initiation through Notification No. F.No.14/22/2016-DGAD dated 09.07.2019 along with corrigendum dated 09.07.2019.

B. Procedure

3. Application was filed by the Domestic Industry on 02.12.2016 for initiating the aforesaid investigation. It was rejected by the Designated Authority vide Office Memorandum F.No.14/22/2016 dated 07.06.2017. Aggrieved by the same the petitioner filed a writ petition before the Hon'ble Telangana High Court.

4. As per the directions issued by the Hon'ble High Court of Telangana through orders dated 09.02.2018 and 28.08.2018, the Authority initiated the investigation vide its notification dated 09.07.2019 along with a corrigendum issued on the same date.

5. The orders issued by the Hon'ble High Court of Telangana were challenged by the Authority before the Hon'ble Supreme Court of India through a SLP. The Supreme Court vide its order dated 01.09.2020 set aside the orders of the Hon'ble High Court of Telangana.

C. Examination by the Authority

6. The Authority notes that as a result of the aforesaid order of the Hon'ble Supreme Court setting aside the orders of the Hon'ble High Court of Telangana, which directed the Authority to initiate the above investigation, it cannot continue with the investigation any further and hereby terminates the aforesaid investigation.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.11.11 23:47:12 +05'30'